निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बम्मोरी घाटा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 188 दावा
दायरा दिनांक :— 08.11.2016
निर्णय दिनांक :— 08.05.2017

उनवान

मांगीलाल पुत्र जयलाल जाति माली निवासी कोहनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. चौथमल पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी कोहनी
2. सत्यनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड़ निवासी कोहनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 08.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री आर.पी. गोयल वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नंबर 111 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा मौजा कोहनी तहसील छीपाबड़ौद मे वाके है, जो वादी के खातेदारी मे दर्ज है, इसी तरह आराजी खसरा नंबर 617/112 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा मौजा कोहनी तहसील छीपाबड़ौद मे वाके है, जो वादी के खातेदारी मे दर्ज है।

दिनांक 28.10.2016 को प्रतिवादीगण ने लट्ठ के जोर पर वादी के खाते व कब्जे की आराजी पर वादी को बेदखल कर अपना कब्जा जमा लिया तथा फसल लहसुन बो दी। प्रतिवादीगण को वादी के खाते की आराजी पर कब्जा करने तथा फसल बोने का भी कोई हक व अधिकार नही है, वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि प्रतिवादीगण वादी के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा न करे फसल नही बोये लेकिन बावजूद निवेदन के फसल बो दी प्रतिवादीगण का उपरोक्त कार्य अवैध व अनाधिकृत है, तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी से बेदखल किये जाने योग्य है।

वाद कारण दिनांक 28.10.2016 को उत्पन्न हुआ, जबकि प्रतिवादीगण ने वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर से वादी को बेदखल कर अपना कब्जा जमा लिया तथा फसल बो दी तथा वादी के निवेदन के बावजूद भी प्रतिवादीगण नही माने तथा प्रतिवादीगण ने बावजूद आग्रह के कब्जा नही छोड़ा, लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम कोहनी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 186 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम कोहनी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 184 पेश की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बम्मोरी घाटा मे रखा गया। वादी एवं प्रतिवादीगण को नोटिस राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बम्मोरी घाटा मे उपस्थित हुये। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बम्मोरी घाटा में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। राजीनामे के अनुसार वादी को अपने खेत पर जाने से प्रतिवादी अपने खेत की मेड पर होकर निकलने से नही रोकने की सहमति प्रतिवादी द्वारा प्रकट की, जिस पर वादी सहमत है। प्रस्तुत राजीनामा से वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। अप्राथीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोहनी के खसरा नंबर 111 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नंबर 617/112 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 113 रकबा 1.13 बीघा कुल 2 किता रकबा 2.01 बीघा पर वादी को आने–जाने से नही रोके एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रका की दखल अंदाजी नही करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बा

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 175/16	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 8.5.17
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

मांगीलाल पुत्र रूपलाल जाति माली निवासी कोहनी तह० छीपा०

बनाम

1. चौथमल पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी कोहनी
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड़ निवासी कोहनी तह० छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मेंयह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

✓ वादी का वाद स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोहनी के ख०नं० 111 रकबा 1.02 बीघा ख०नं० 112/112 रकबा 8 बिस्वा, ख०नं० 113 रकबा 1.13 बीघा कुल 3 रकबा 2.01 बीघा पर वादी का कब्जा काश्त में रहे एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार................................रू0 का व्यायानुतोष..............................द्वारा........................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.5.17 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं. व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1. वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2. अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3. साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4. प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5. पारीश्रमिक अभिभाषक		
6. व्यय साक्षी		
7. फीस कमिश्नर		
8. अन्य मांग पूर्ति		
9. ब्याज (%)		
10. योग		

Scanned by CamScanner